Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Complete Digitalization of the Direct Benefit Transfer System

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): जिन पत्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था वे सभी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रासफर प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित हो रहे है। डीबीटी की सफलता के लिए जन धन खाते अतिमहत्वपूर्ण साबित हुए। इसके साथ ही आधार को बैंक खाते के साथ जोड़ने पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया, जिससे डीबीटी प्रणाली को लागू करने में मदद मिली। वर्तमान में 15 से अधिक मंत्रालयों की योजनाएं डीबीटी के अंतर्गत आती हैं। परन्तु आज भी अनेकों हितग्राही अपने अधिकारों से वचित है। देखने में आ रहा है कि मानवीय त्रुटि के चलते सही जानकारी दर्ज न होने से पात्र हितग्राही परेशान व लाभ से वंचित है। वितरण श्रृंखला पूरी तरह डिजिटल नहीं है, श्रृंखला में मानवीय हस्तक्षेप सभी समस्याओं की जड़ है, यह चिन्ता की बात है।

डीबीटी को और अधिक सशक्त एवं सुचारू तरीके से क्रियान्वयन करने के लिये इसका पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होना अति आवश्यक है। साथ एक तंत्र स्थापित किया जाये कि शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द हो जाये।

क्या सरकार पूरी डिलीवरी चैन के एंड टू एंड डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह डिजिलिटीकरण व तत्काल त्रुटि सुधार करने हेतु कोई ठोस योजना बना रही है?